

UGC NET Paper 3 June 25, 2006 Shift 1 Home Science Question Paper

Signature and Name of Invigilator

Roll No.

--	--	--	--	--	--	--	--

(In figures as per admission card)

1. (Signature) _____

(Name) _____

2. (Signature) _____

(Name) _____

Roll No. _____

(In words)

Test Booklet No.

J-1206**PAPER – III****Time : 2½ hours]****HOME SCIENCE****[Maximum Marks : 200**

Number of Pages in this Booklet : 40

Number of Questions in this Booklet : 26

Instructions for the Candidates

1. Write your roll number in the space provided on the top of this page.
2. Answers to short answer/essay type questions are to be given in the space provided below each question or after the questions in the Test Booklet itself.

No Additional Sheets are to be used.

3. At the commencement of examination, the question booklet will be given to you. In the first 5 minutes, you are requested to open the booklet and compulsorily examine it as below :

(i) To have access to the Test Booklet, tear off the paper seal on the edge of this cover page. Do not accept a booklet without sticker-seal and do not accept an open booklet.

(ii) Tally the number of pages and number of questions in the booklet with the information printed on the cover page. Faulty booklets due to pages/questions missing or duplicate or not in serial order or any other discrepancy should be got replaced immediately by a correct booklet from the invigilator within the period of 5 minutes. Afterwards, neither the question booklet will be replaced nor any extra time will be given.

4. Read instructions given inside carefully.
5. One page is attached for Rough Work at the end of the booklet before the Evaluation Sheet.
6. If you write your name or put any mark on any part of the Answer Sheet, except for the space allotted for the relevant entries, which may disclose your identity, you will render yourself liable to disqualification.
7. You have to return the Test booklet to the invigilators at the end of the examination compulsorily and must not carry it with you outside the Examination Hall.
8. Use only Blue/Black Ball point pen.
9. Use of any calculator or log table etc. is prohibited.
10. There is NO negative marking.

परीक्षार्थियों के लिए निर्देश

1. पहले पृष्ठ के ऊपर नियत स्थान पर अपना रोल नम्बर लिखिए।
2. लघु प्रश्न तथा निबंध प्रकार के प्रश्नों के उत्तर, प्रत्येक प्रश्न के नीचे या प्रश्नों के बाद में दिये हुये रिक्त स्थान पर ही लिखिये।

इसके लिए कोई अतिरिक्त कागज का उपयोग नहीं करना है।

3. परीक्षा प्रारम्भ होने पर, प्रश्न-पुस्तिका आपको दे दी जायेगी। पहले पाँच मिनट आपको प्रश्न-पुस्तिका खोलने तथा उसकी निम्नलिखित जाँच के लिए दिये जायेंगे जिसकी जाँच आपको अवश्य करनी है :

(i) प्रश्न-पुस्तिका खोलने के लिए उसके कवर पेज पर लगी सील को फाड़ लें। खुली हुई या बिना स्टीकर-सील की पुस्तिका स्वीकार न करें।

(ii) कवर पृष्ठ पर छपे निर्देशानुसार प्रश्न-पुस्तिका के पृष्ठ तथा प्रश्नों की संख्या को अच्छी तरह चैक कर लें कि ये पूरे हैं। दोषपूर्ण पुस्तिका जिनमें पृष्ठ/प्रश्न कम हों या दुबारा आ गये हों या सीरियल में न हों अर्थात् किसी भी प्रकार की त्रुटिपूर्ण पुस्तिका स्वीकार न करें तथा उसी समय उसे लौटाकर उसके स्थान पर दूसरी सही प्रश्न-पुस्तिका ले ले। इसके लिए आपको पाँच मिनट दिये जायेंगे। उसके बाद न तो आपकी प्रश्न-पुस्तिका वापस ली जायेगी और न ही आपको अतिरिक्त समय दिया जायेगा।

4. अन्दर दिये गये निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
5. उत्तर-पुस्तिका के अन्त में कच्चा काम (Rough Work) करने के लिए मूल्यांकन शीट से पहले एक पृष्ठ दिया हुआ है।
6. यदि आप उत्तर-पुस्तिका पर अपना नाम या ऐसा कोई भी निशान जिससे आपकी पहचान हो सके, किसी भी भाग पर दर्शाते या अंकित करते हैं तो परीक्षा के लिये अयोग्य घोषित कर दिये जायेंगे।
7. आपको परीक्षा समाप्त होने पर उत्तर-पुस्तिका निरीक्षक महोदय को लौटाना आवश्यक है और इसे परीक्षा समाप्ति के बाद अपने साथ परीक्षा भवन से बाहर न लेकर जायें।
8. केवल नीले / काले बाल प्वाइंट पेन का ही इस्तेमाल करें।
9. किसी भी प्रकार का संगणक (कैलकुलेटर) या लाग टेबल आदि का प्रयोग वर्जित है।
10. गलत उत्तर के लिए अंक नहीं काटे जायेंगे।

HOME SCIENCE

गृह विज्ञान

PAPER – III

प्रश्न-पत्र – III

NOTE: This paper is of two hundred (200) marks containing four (4) sections. Candidates are required to attempt the questions contained in these sections according to the detailed instructions given therein.

नोट : यह प्रश्नपत्र दो सौ (200) अंकों का है एवं इसमें चार (4) खंड है। अभ्यर्थियों को इन में समाहित प्रश्नों का उत्तर अलग दिये गये विस्तृत निर्देशों के अनुसार देना है।

SECTION - I**खण्ड – I**

Note : This section contains five (5) questions based on the following paragraph. Each question should be answered in about thirty (30) words and each carries five (5) marks.

(5x5=25 marks)

नोट : इस खंड में निम्नलिखित अनुच्छेद पर आधारित पाँच (5) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग तीस (30) शब्दों में अपेक्षित है। प्रत्येक प्रश्न पाँच (5) अंकों का है।

(5x5=25 अंक)

Every living being is a real or a potential consumer of goods and services, whether these are self produced for consumption or bought in exchange for money, work or other goods. Industrialization and technological development brought in its wake a number of implications which have completely changed the face of the market and the consumer environment.

The Indian consumer faces problems in markets, banks, government and private offices, hospitals, schools, public distribution agencies and other services. All transactions have become more competitive and highly complex due to modern technology and development of large scale enterprises, mass production and distribution and emergence of professionals.

Consumers are exposed to many hazards - physical, environmental and emotional, in the form of mal - trade practices such as adulteration, misbranding, misuse of colouring matters, unfair warranties, sales gimmicks, massive profiteering and illegal trading. These mal - trade practices pose a problem to consumers.

It is high time for consumers to start educating themselves about their rights and seek protection from exploitation with the help of government and voluntary organisations. Apart from the legal and other aids that are available for the protection of consumer interests, the most significant development in recent years has been the provision of redressal machinery for dealing with genuine consumer grievances.

The Consumer Protection Act (CPA), 1986, is a unique one which provides for a redressal system at District, State and National level. It has two important implications

for the consumer. First, it gives the right to complain to an authority when aggrieved and seek redressal speedily without much running around. Secondly, the consumer can claim compensation for any loss or injury suffered on account of the negligence of the manufacturer. The Act applies to all goods and services in both private and public sectors, except those rendered free of charge as under a personal service contract. Any complaint of a deficiency in the service rendered to a consumer, or loss caused due to an unfair trade practices which is defined in Section 36A of the Monopolies and Restrictive Trade Practices (MRTP) Act, 1969, can form the subject of adjudication under the Act. The redressal forums are required to dispose off each complaint within three months from the date of notice served on the opposite party. In case the complaint requires that goods be tested or analysed, the case has finally to be disposed off within five months. No court fee or any other charge is paid by a complainant for the petition. There are no formalities with respect to filing the complaint. Appearance at the forum may be in person or through authorised agent and need not seek the assistance of a lawyer. The forum possesses statutory powers to direct the respondent to remove the defects in the goods under complaint, to order replacement or reimbursement of the price of goods to the complainant.

प्रत्येक जीवंत प्राणी वस्तुओं व सेवाओं का वास्तविक अथवा सम्भावनीय उपभोक्ता है, चाहे यह उपभोग के लिए स्वनिर्मित है या मुद्रा विनिमय के लिए खरीदी गई हो या अन्य वस्तुएँ के बदले में खरीदी गई हो। औद्योगीकरण एवं प्राथ्योगिक विकास के पीछे बहुत से प्रभाव देखे गये हैं, जिन्होंने मार्किट एवं उपभोक्ता के परिवेश का संपूर्ण चेहरा ही बदल दिया है। भारतीय उपभोक्ता के मार्किट, बैंको, सरकारी एवं गैरसरकारी दफतरों, अस्पतालों, स्कूलों, सार्वजनिक वितरण एजन्सियों तथा अन्य सेवाओं में समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

आधुनिक प्राथ्योगिक एवं बड़े पैमाने के उद्यमों, थोक उत्पादन एवं वितरण तथा व्यवसायिकों के उभरने के कारण सभी कार्य संपादन अत्याधिक स्पर्धात्मक एवं जटिल हो गए हैं।

व्यापारिक कुरीतियों जैसे मिलावट, गलतमार्क, रंगने वाले पदार्थ का दुरुपयोग, झूठा आश्वसान, विक्रय दिखावट, अत्यधिक मुनाफा एवं गैरकानूनी व्यापार के रूप में उपभोक्ता को शारीरिक वातावरणीय एवं संवेगात्मक जैसे अनेक संकटों में धकेला जाता है। यह व्यापारिक कुरीतियाँ उपभोक्ता के सामने समस्याएँ खड़ी कर रही हैं। अब समय है कि उपभोक्ता सरकारी एवं स्वैच्छिक संस्थाओं की सहायता से अपने अधिकारों के बारे में शिक्षित हो एवं शोषण से बचें। उपभोक्ता की रुचियों की सुरक्षा के लिए जो कानूनी एवं अन्य सहायता उपलब्ध है उसके अलावा उपभोक्ता की वास्तविक शिकायतों को निपटाने के लिए क्षतिपूर्ति यन्त्र समुह का भी प्रावधान है। कन्ज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, 1986 (सी.पी.ए) एक अनोखा कानून है जो जिला, राजकीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर क्षतिपूर्ति योजना उपलब्ध है।

सी.पी.ए. उपभोक्ताओं को दो तरह से लाभ पहुँचाती है। प्रथम, व्यथित होने पर उपभोक्ता का उच्च अधिकारी के सामने शिकायत करने का अधिकार देती हैं एवं बिना दौड़ धूप किये जल्दी क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का मौका देती है। द्वितीय, उत्पादक की गलती से हुआ नुकसान एवं क्षति की भरपाई के लिए उपभोक्ता दावा कर सकता है। वे वस्तुएँ जो बिना कीमत के या व्यक्तिगत सेवा अनुबन्ध पत्र द्वारा दी जाती हैं, इसके अलावा यह धारा व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक क्षेत्रों के सभी पदार्थों एवं सेवाओं पर लागू होता है। मोनोपॉलीज एवं रेस्ट्रिक्टव ट्रेड प्रेक्टिसिज एक्ट, 1969 (एम.आर.टी.पी) के तहत 36 धारा में परिभाषित उपभोक्ता को दी सेवा में कमी की शिकायत या व्यापारिक कुरीतियों का वजह से नुकसान, एक्ट के तहत न्याय निर्णय का विषय बन सकता है। विपक्ष समुह के विरुद्ध जिस तारीख को दावा किया गया हो, उस दिन से लेकर 3-महीने के अन्दर-अन्दर क्षतिपूर्ति न्यायलय के लिए प्रत्येक शिकायत का निपटारा करना जरूरी है। अगर किसी शिकायत को परखना या विश्लेषण करना जरूरी है तो इस मसले का हल अधिक से अधिक 5-महीने के अन्दर करना जरूरी है। दावे के लिए शिकायतकर्ता को किसी भी तरह की न्यायलय फीस या किसी अन्य तरह का भुगतान नहीं करना पड़ता। शिकायत दर्ज करने के लिए किसी भी तरह की औपचारिकता की जरूरत नहीं होती। व्यक्तिगत रूप में या अधिकृत एजेंट के किसी वकील की सहायता की जरूरत नहीं होती। न्यायलय के पास अधिनियमित अधिकार है कि वे प्रतिवादी का निर्देश दें कि वो शिकायत के अनुसार वस्तुओं के दोष को दूर करें, वस्तु को बदल दें या शिकायतकर्ता की वस्तु की कीमत की भरपाई करें।

1. Who is a consumer ?

उपभोक्ता कौन हैं?

2. What are the problems faced by Indian consumers ?

भारतीय उपभोक्ता को किस प्रकार के समस्याओं का सामना करता है?

3. State the reasons for more competition in market transactions.

बाजार कार्य संपादन में अधिक स्पर्धा के कारणों का वर्णन करे।

4. Why do Indian consumers face more problems than others ?

भारतीय उपभोक्ता को अन्य उपभोक्ताओं की अपेक्षा अधिक समस्याओं का सामना क्यों करना पड़ता है?

5. What are the provisions in the CPA for redressal of a consumer problem ?

सी. पी. ए में उपभोक्ता की समस्याओं की क्षतिपूर्ति के लिए क्या प्रावधान हैं?

SECTION - II

खण्ड – II

Note : This section contains fifteen (15) questions each to be answered in about thirty (30) words. Each question carries five (5) marks.

(5x15=75 marks)

नोट : इस खंड में पंद्रह (15) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग तीस (30) शब्दों में अपेक्षित है। प्रत्येक प्रश्न पाँच (5) अंकों का है।

(5x15=75 अंक)

6. Explain the following terms :

Keratomalacia

व्याख्या कीजिए :

करेटोमलेशिया

7. Life Style Diseases

जीवन शैली सम्बन्धित रोग

8. Choux Pastry

शू पेस्ट्री

9. Emulsifier

पायसकर (इमलिसफायर)

10. Pricing tactics

कीमते तय करने की रणनीति

11. Programme Planning

प्रोग्राम (कार्यक्रम) की योजना

12. Dart equivalent.

डार्ट तुल्यता

13. Optical brightness.

आप्टिकल ब्राइटनेस

14. Deceptive Advertising.

धोखादेने वाले विज्ञापन

15. Implementation.

कार्यान्वित करना

16. Active learning.

सक्रिय अधिगम

17. Early Stimulation.

प्रारंभिक उत्तेजना

18. Identity Crisis.

पहचान-संकट

19. SGSY

एस जी एस वाई

20. Communication Barrier.

संचार के अवरोधक

SECTION - III

खण्ड – III

Note : This section contains five (5) questions from each of the electives / specialisations. The candidate has to choose only one elective / specialisation and answer all the five questions from it. Each question carries twelve (12) marks and is to be answered in about two hundred (200) words.

(12x5=60 marks)

नोट : इस खंड में प्रत्येक ऐच्छिक इकाई/विशेषज्ञता से पाँच (5) प्रश्न हैं। अभ्यर्थी को केवल एक ऐच्छिक इकाई/विशेषज्ञता को चुनकर उसी में से पाँचों प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न बारह (12) अंकों का है व उसका उत्तर लगभग दो सौ (200) शब्दों में अपेक्षित है।

(12x5=60 अंक)

Elective - I / विकल्प – I

FOOD AND NUTRITION / आहार एवं पोषण

21. What are leavening agents ? Discuss various types of leavening agents giving their functional properties.

किण्वी कारक क्या होते हैं? विभिन्न प्रकार के किण्वी कारको की चर्चा उनकी कार्मिक गुणता के साथ कीजिए।

22. What are the factors that affect taste quality ?

स्वाद की गुणवत्ता किन-किन कारको से प्रभावित होती हैं?

23. What is dietary fibre ? Discuss the importance of including it in the diet.

खाद्य फोक क्या होता है? भोज्य में इसका प्रयोग करने के महत्व की चर्चा कीजिए।

24. Why is Vitamin A deficiency considered a Public Health Problem in India ? Discuss the different strategies that can be used to combat VAD.

भारत में विटामिन 'ए' की कमी क्यों एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या मानी जाती है? VAD को रोकथाम के लिए जो विभिन्न रणनीतियों का प्रयोग कर सकते हैं उनकी चर्चा कीजिए।

25. What are Genetically Modified (GM) foods ? Discuss the benefits and possible hazards of long term use of GM foods.

“जिनेटिकल मोडिफाइड” (GM) खाद्य पदार्थ क्या होते हैं? GM खाद्यान्नों को लम्बे समय तक प्रयोग करने से होने वाले लाभ और सम्भावित हानियाँ होने की चर्चा कीजिए।

OR / अथवा

Elective - II / विकल्प—II

INSTITUTIONAL MANAGEMENT OF DIETETICS / संस्थानिक प्रबन्ध एवं आहारिकी

21. What food handling practices would you recommend for use in a cafeteria serving hot and cold beverages, snacks and lunch ?

एक जलपान गृह, जिसमें गर्म और ठंडे पेय, अल्पहार और लंच परोसा जाता है, उसके लिए आप कौनसी “फूड हैंडलिंग प्रैक्टिस” उपयुक्त बतायेंगे।

22. What Quality Food Preparation techniques are useful in efficient kitchen management ?

कुशल रसोई व्यवस्थापन में कौन सी परिमाण भोज्य प्रबन्ध व्यवस्था तकनीक हैं?

23. In what ways can technology help to improve efficiency in a food service establishment ?

एक भोजन परोसने वाली संस्थापन में शिल्पविज्ञान किस प्रकार दक्षता बढ़ाने में मदद कर सकता है?

24. Explain the role of diet and counselling in the management of Hypertension ?

उच्च रक्तचाप की बिमारी की व्यवस्था में आहार और परामर्श की भूमिका का वर्णन करें?

25. Discuss the nutritional management of a patient with chronic renal failure.

“क्रोनिक रीनल फेलियर” वाले रोगी की पोषण सम्बन्धी व्यवस्था की चर्चा करें।

OR / अथवा

Elective - III / विकल्प – III

CHILD AND HUMAN DEVELOPMENT / शिशु एवं मानवीय विकास

21. What are the causes of high prevalence of childhood disability in India ? Suggest measures that can prevent the incidence of disability at birth.
भारतीय बच्चों में विकलांगता का प्रचलन अधिक होने के क्या कारण हैं? जन्म से विकलांगता की रोकथाम के उपायों के सुझाव दीजिए।
22. Explain any two Preschool 'curriculum models'.
किन्ही दो शालापूर्व 'पाठ्यचर्या मॉडल' का वर्णन करें।
23. Mark the importance of story - telling in conceptual enhancement of children. Enlist the qualities of a story teller.
बच्चों में प्रत्येयों के विकास में 'कहानी सुनाने' के महत्व बताइये। एक कहानी सुनाने वाले व्यक्ति की विशेषताओं की सूची बताइये।
24. Enlist various stages of Piaget's theory of cognitive development ? Explain the first stage in detail.
प्यागेट के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धान्त की विभिन्न अवस्थाओं की सूची बनाइये। इस सिद्धान्त की पहली अवस्था को विस्तार में लिखिये।
25. What are various reasons of adolescents' conflict in the family. Suggest the strategies to resolve the conflict.
किशोरों/किशोरियों के परिवारिक अन्तर्द्वन्द के विभिन्न कारण क्या हैं? इन अन्तर्द्वन्दों को सुलझने की विधियों के बारे में सुझाव दीजिए।

OR / अथवा

Elective - IV / विकल्प – IV

CLOTHING AND TEXTILES / वस्त्र प्रसाधान तथा वस्त्र

21. What are some of the colour related problems experienced by consumers in the use and care of textiles ?
वस्त्र को इस्तेमाल और देखरेख के समय उपभोक्ता रंग सम्बद्धित किन समस्याओं का सामना करता हैं?
22. Classify finishes. Explain any three finishes that alter fabric lustre.
परिसज्जाओं का वर्गीकरण कीजिए। कपड़ों की चमक में परिवर्तन लाने वाली किन्ही तीन परिसज्जाओं की व्याख्या कीजिए।

23. Give the stages at which textile products can be dyed. Discuss advantages and disadvantages of dyeing at each of the production stages.

वस्त्र उत्पादों को रंगने के विभिन्न अवस्थाएँ दीजिए। हर उत्पाद अवस्था पर रंगने के लाभ व हानियों की चर्चा कीजिए।

24. Differentiate among simple, plied and novelty yarns. Describe different types of novelty yarns.

साधारण, प्लाई व नवीन धागों में अन्तर बताइए। विभिन्न प्रकार के धागों का वर्णन कीजिए।

25. Distinguish between Kalamkari of Masulipatnam and Shrikalahasti.

मसूलीपटनम और श्रीकलाहस्ती की कलमकारी के बीच अन्तर बताइए।

OR / अथवा

Elective - V / विकल्प – V

HOME AND COMMUNITY RESOURCE MANAGEMENT

गृह और सामुदायिक साधन प्रबंध

21. Explain family system approach in family resource management with the help of appropriate illustration.

पारिवारिक संसाधन प्रबंध में परिवार सिद्धान्त की ओर पहुँचने का रास्ता उचित उदाहरण द्वारा समझाइए।

22. Exchange of fully understood message is essential for the achievement of goal. Justify.

लक्ष्य प्राप्ति के लिए सही ढंग से संदेश का आदान-प्रदान बहुत आवश्यक है। समझाइए।

23. Population growth and resource availability are directly related. Comment.

जनसंख्या बढ़ोतरी तथा साधन की उपलब्धियों का एक दूसरे से सीधा सम्बन्ध है। टिप्पणी करो।

24. Decision making is involved in all aspects of management. How ?

निर्णय लेना प्रबन्ध के सभी अवस्थाओं में शामिल है। कैसे?

25. What are different trade mal - practices prevailing in market. Explain with suitable example.

किस प्रकार के व्यापारिक कुरीतियाँ बाजार में प्रचलित हैं। उचित उदाहरणों द्वारा समझाइए।

OR / अथवा

Elective - VI

विकल्प – VI

HOME SCIENCE EXTENSION EDUCATION

गृह-विज्ञान विस्तार शिक्षा

21. 'Adult learners are less motivated to class room teaching' - Why ? What should be done to promote learning ?

प्रौढ़ शिक्षार्थी कक्षा में पढ़ने के लिए कम उत्साहित होते हैं-क्यों? उनके सीखने को बढ़ाना देने के लिए क्या करना चाहिए?

22. What is a campaign ? Enumerate its characteristic features and limitations.

अभियान क्या है? उनकी विशेषताओं एवं परिसीमाओं की सूची दीजिए।

23. Extension teaching is a planned deliberate act on the part of an Extension agent - analyse.

विस्तार अध्यापन, विस्तार कार्यकर्ता का सुनियोजित एवं सोद्देश्य कार्य है। विश्लेषण करें।

24. What are the factors to be considered in the selection of Audio visual aids for educating rural women.

ग्रामीण महिलाओं की शिक्षा के लिए दृश्य-श्रवण सहायक सामग्री के चयन में किन कारकों की ध्यान में रखना जरूरी है।

25. Elaborate on the problems faced by women entrepreneurs and SHGs engaged in economic activities.

आर्थिक क्रियाओं में संलग्न महिला उद्यमकर्ता व एस. एच. जी. के समक्ष आने वाली समस्याओं की व्याख्या कीजिए।

prepp
Your Personal Exam Guide



prepp
Your Personal Exam Guide



prepp
Your Personal Exam Guide

prepp
Your Personal Exams Guide

prepp
Your Personal Exam Guide

prepp
Your Personal Exam Guide

prepp
Your Personal Exam Guide



SECTION - IV

खण्ड—IV

Note : This section consists of one essay type question of forty (40) marks to be answered in about one thousand (1000) words on any of the following topics.

(40x1=40 marks)

नोट : इस खंड में एक चालीस (40) अंको का निबन्धात्मक प्रश्न है जिसका उत्तर निम्नलिखित विषयों में से केवल एक पर, लगभग एक हजार (1000) शब्दों में अपेक्षित है।

(40x1=40 अंक)

26. Discuss the role of family in conservation of resources and protection of environment.

संसाधनों का संरक्षण और पर्यावरण के बचाव में परिवार का क्या योगदान है? विस्तार से समझाइए।

OR / अथवा

Explain the prospects of entrepreneurship development through Home Science Education.

गृह विज्ञान शिक्षा द्वारा उद्यमता के विकास का क्या भविष्य है, विस्तार पूर्वक लिखिए।



prepp
Your Personal Exam Guide



prepp
Your Personal Exam Guide

prepp
Your Personal Exams Guide

prepp
Your Personal Exam Guide



prepp
Your Personal Exam Guide

FOR OFFICE USE ONLY							
Marks Obtained							
Question Number	Marks Obtained	Question Number	Marks Obtained	Question Number	Marks Obtained	Question Number	Marks Obtained
1		26		51		76	
2		27		52		77	
3		28		53		78	
4		29		54		79	
5		30		55		80	
6		31		56		81	
7		32		57		82	
8		33		58		83	
9		34		59		84	
10		35		60		85	
11		36		61		86	
12		37		62		87	
13		38		63		88	
14		39		64		89	
15		40		65		90	
16		41		66		91	
17		42		67		92	
18		43		68		93	
19		44		69		94	
20		45		70		95	
21		46		71		96	
22		47		72		97	
23		48		73		98	
24		49		74		99	
25		50		75		100	

Total Marks Obtained (in words)

(in figures)

Signature & Name of the Coordinator

(Evaluation) Date